

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, राजस्थान, जयपुर
क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2025/61 दिनांक 07/03/25

संशोधन आदेश

निदेशालय के आदेश क्रमांक: 748 दिनांक 31.07.2017 के द्वारा डॉ. नमिता चौहान, चिकित्सा अधिकारी (दन्त), जन्मतिथि 09.08.1981, प्रथम नियुक्ति तिथि 25.04.2013 के द्वारा परीविक्षाकाल में 349 दिवस के आसाधारण अवकाश के उपभोग के कारण दिनांक 09.03.2016 से नियमित वेतन श्रृंखला स्वीकृत की गयी थी। माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस.बी. सिविल रिट पिटिशन संख्या 21277/2013 डॉ. नमिता चौहान बनाम सरकार व अन्य में पारित निर्णय दिनांक 21.02.2017 एवं अवमानना प्रकरण संख्या 1092/2023 की पालना में समाप्त सेवाओं की अवधि दिनांक 25.01.2014 से 24.11.2014 (304 दिन) का काल्पनिक लाभ प्रदान किया जाना है, अतः निदेशालय के आदेश क्रमांक: 748 दिनांक 31.07.2017 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :-

S.No.	Order S.No.	Name of Doctor's	Date of Birth	Date of First Appointment	Date of Probation Complete	Date of Regular Pay Scale
1	3	NAMITA CHAUHAN	09.08.1981	25.04.2013	24.04.2015	25.04.2015

शेष शर्तें यथावत रहेगी।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,
राजस्थान, जयपुर

क्रमांक: राजपत्रित/डीपीसी/2025/61

दिनांक 07/03/25

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये, जोन।
2. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, रूपनगढ।
4. संबंधित दन्त चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रशासनिक अधिकारी।
5. कार्यालय अधीक्षक, राजपत्रित संस्थापन अनुभाग, मुख्यालय।
6. प्रभारी, सर्वर रूम, मुख्यालय को भेजकर लेख है कि आदेश विभाग की वेबसाईट पर अपलोड कराने की व्यवस्था करें।
7. प्रभारी, ए.टी. प्रकोष्ठ, मुख्यालय।

निदेशक (जन स्वा.)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये,

राजस्थान, जयपुर
Document certified by RAVI PRAKASH
SHARMA <directorph-rj@nic.in>

Digitally Signed by Ravi
Prakash Sharma
Designation: Director
Date :07-03-2025 02:25:22